

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्डुनू

दावा संख्या 202/2017

उनवान

मु० हरकारी बनाम घड़सीराम वगै०

1. मु० हरकारी आयु 77 साल बेवा स्व० औंकारमल उर्फ औंकार सिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू (मृतक)।
2. शिशराम आयु 45 साल पुत्र औंकारमल उर्फ औंकार सिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
3. सहीराम आयु 40 साल पुत्र औंकारमल उर्फ औंकार सिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।

-वादीगण

बनाम

1. घड़सीराम उर्फ घासीराम पुत्र बुजाराम निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू (मृतक)।
- 1/1. नीमादेवी पत्नी घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/2. राजपाल पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/3. महीपाल पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/4. कमला पुत्री घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/5. मोहनलाल पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/6. रामस्वरूप पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
- 1/7. संतोष पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
2. मलाराम उम्र 76 वर्ष पुत्र बुजाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
3. मु. सन्तरा उर्फ सुमित्रा आयु 62 वर्ष जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
4. रामस्वरूप उर्फ शीशपाल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
5. गिरधारी उम्र 70 वर्ष पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
6. गोकुल उम्र 67 वर्ष पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
7. गोपीचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
8. राजा बेवा फुलाराम मृतक
9. सुमेर आयु 43 साल पुत्र स्व० फुलाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
10. शिशपाल आयु 40 साल पुत्र स्व० फुलाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
11. सुनिल आयु 34 साल पुत्र स्व० फुलाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्डुनू।
12. हरचन्द पुत्र बालु मृतक

  
उप खण्ड अधिकारी  
झुन्डुनू (राज.)

- 12/1. मनोहरी देवी पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
13. महावीर आयु 57 साल पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
14. मु. किस्तुरी पत्नी बजरंग जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
15. रामसिंह पुत्र बजरंग मृतक।
- 15/1. श्रीमती संतोष उम्र 48 वर्ष पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 15/2. राकेश कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 15/3. विकेश आयु 28 वर्ष पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
16. मदनसिंह पुत्र बजरंग मृतक।
- 16/1. श्रीमती कमला पत्नी मदनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 16/2. कुमारी अनिता पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 16/3. कुमारी सुनिता पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 16/4. ललीता पुत्री मदनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 16/5. लिखिलाल पुत्र मदनसिंह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
17. रामकुमार पुत्र स्व. बजरंग जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
18. उम्मेद पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
19. सरदाराराम पुत्र गणपत मृतक।
- 19/1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी सरदाराराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 19/2. जितेन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 19/3. रोतास पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
20. महेश जायन्दा पुत्र उम्मेद दतक पुत्र स्व. मनीराम मृतक।
- 20/1. सुनिता पत्नी महेश जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 20/2. अंकित कुमार पुत्र महेश जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
- 20/3. मोनिका पुत्री महेश जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
21. रणवीर पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
22. राजस्थान सरकार जरिये लैंड हौल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

अभिहित अधिवक्ता:-

श्री बाबूलाल मील :- वादीगण की ओर से।

श्री बाबूलाल मील  
सुन्दर (राज.)

श्री श्रवण कुमार सैनी :- राज्य सरकार की ओर से।

## दावा बाबत बंटवारा व घोषणार्थ

निर्णय

दिनांक :- 17.12.2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। न्यायालय के प्रार्थमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2021 के द्वारा वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बाकरा की कृषि भूमि हाल ख.नं. 887 रकबा 0.80 हैक्टर, ख.नं. 888 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.नं. 889 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 890 रकबा 0.79 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 2.08 हैक्टर में पक्षकारान को दावा की मद संख्या 11 "क" व मद संख्या 3 के अनुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को 500/- रुपये मौका फीस पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया था कि वह बाउन्ड्स एंड बाई मिट्स व उक्त घोषणा अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पक्षकारों की मौजूदगी में राज्य सरकार/माननीय राजस्व मंडल द्वारा समय समय पर प्राप्त परिपत्रों की परिपेक्ष्य में पहुंच मार्ग को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव 15 दिवस में न्यायालय में पेश करे।

तहसीलदार झुन्झुनू ने पत्रांक राजस्व/2021/2287 दिनांक 03.09.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर इस न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

## आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
17.12.2021

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)  
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

नम्बर:- 202/2017

उनवान

मु0 हरकोरी बनाम घड़सीराम वगै0

बाबत:- बंटवारा व घोषणार्थ

दिनांक:- 17.12.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मील एवं राज्य सरकार की ओर से प्रवक्ता सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 17.12.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उपखंड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर बन जायें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी की गई।

*(Signature)*  
17.12.2021

(शैलेश खैरवा)  
उपखंड अधिकारी, झुंझुनू



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनाम	
बाबत इजराय हुकमनाम		मुतफरिक	
	41		0

*(Signature)*  
उपखंड अधिकारी, झुंझुनू  
17.12.2021